बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
संचिका सं०–9/आ०–3–11/2013
संकल्प

परिवादिनी श्रीमती सुनीता कुमारी ए0 एन0 एम0, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मेहषी के परिवाद पत्र पर पुलिस उपाधीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो श्री सुवास साह के प्रतिवेदन के आधार पर प्री ट्रैप मेमोरेन्डम एवं पोस्ट–ट्रेप मेमोरेन्डम से विदित होता है कि आरोपित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा परिवादनी की हाजरी काट दी गई एवं हाजरी स्वीकृत करने के लिये 10000/(दस हजार) रू0 रिश्वत् की मांग किये थे। श्रीमती कुमारी ने सिविल सर्जन मोतीहारी से लिखित शिकायत की, परन्तु उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किये जाने के कारण परिवादिनी ने निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से शिकायत की । निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा धावादल का गठन किया गया। श्री सुवास साह पुलिस उपाधीक्षक, के नेतृत्व में डा0 ओम प्रकाश को 6000/– (छः हजार रूपये) रिश्वत लेते हुए धावादल द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा रिश्वत की राशि आरोपी के बाये हाथ के मुट्ठी से बरामद किये जाने का उल्लेख पोस्ट–ट्रैप मेमोरेन्डम में की गई है।

02. डा0 ओम प्रकाश, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेहषी, जिला पूर्वी चम्पारण सम्प्रति निलंबित को निगरानी टीम के द्वारा दिनांक 27.8.2013 को 6000/– (छः हजार रूपये) रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, तथा न्यायिक हिरासत में केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर भेज दिया गया। विभागीय अधिसूचना सं0 1272(9) दिनांक 04.10.2013 द्वारा उन्हें दिनांक 27.8.13 के प्रभाव से निलंबित किया गया। डा0 प्रकाश के जमानत पर छूटने के पश्चात् उनके योगदान की तिथि दिनांक 27.1.14 के प्रभाव से विभागीय अधिसूचना सं0 164(9) दिनांक 25.2.14 द्वारा उन्हें पूर्वाहन से निलंबन मुक्त किया गया तथा विभागीय अधिसूचना सं0 165(9) दिनांक 25.2.2014 के अपराह्न से पुनः निलंबित किया गया।

03. डा0 ओम प्रकाश को उनके अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार में संलिप्तता एवं बिहार सरकारी सेवक आचार संहिता के प्रावधानों के उल्लघंन के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–9(3) (II) के तहत विभागीय अधिसूचना सं0 165(9) दिनांक 25.2.14 के अपराह्न से पुनः निलंबित किया गया एवं उनके विरूद्ध आरोपो के आधार पर विभागीय संकल्प सं0 1323(9) दिनांक 24.10.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

04. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम में आरोप प्रमाणित पाये गये हैं, तथा प्रमाणित आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक 411(9) दिनांक 10.06.14 के द्वारा आरोपी चिकित्सा पदाधिकारी से द्वितीय कारणपृच्छा की मांग की गई।

05. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम एवं आरोपी चिकित्सा पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा प्रत्युतर के विभागीय स्तर पर सम्यक समीक्षोपरांत डा0 ओम प्रकाश द्वारा रिश्वत् लेने का आरोप एवं कदाचार करने का आरोप प्रमाणित पाया गया। अतः श्री प्रकाश के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के भाग– V नियम 14 के परन्तुक के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14(ix) के तहत सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री स्वास्थ्य के अनुमोदनोंपरान्त विभाग द्वारा डा0 प्रकाश को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया।

डा0 ओम प्रकाश, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र, मेहषी, जिला पूर्वी चम्पारण सम्प्रति निलंबित को अपने कर्तव्यों के पालन हेतु रिश्वत लेने जैसे जघन्य अपराध एवं कदाचार में दोषी पाते हुए बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति तथा मंत्रिपरिषद की स्वीकृति से सेवा से बर्खास्त किया जाता है। डा0 ओम प्रकाश को निलंबन अवधि का मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु अवश्य भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/-
(नागेन्द्र प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव,
स्वा0 विभाग, बिहार,पटना।

ज्ञापांकः 335 (9) /स्वा0, पटना , दिनांकः 28/03/2016

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार पटना/अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर/मगध प्रमंडल गया/ सिविल सर्जन कार्यालय पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी)/संबंधित कोषागार पदाधिकारी पूर्वी चम्पारण, मोतीहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– डा0 ओम प्रकाश, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेहषी, जिला पूर्वी चम्पारण मोतीहारी सम्प्रति निलंबित मुख्यालय क्षेत्रीय अपर निदेशक मगध प्रमंडल गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव बिहार लोक सेवा आयोग बिहार, पटना के उनके पत्रांक 1691 दिनांक 29.09.2015 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 2,3,5,7,8,10, एवं 17 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

28.3.16
सरकार के अवर सचिव